[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

No. FT-1/12/2022-IF-II

Government of India

Ministry of Finance

Department of Financial Services

New Delhi, Dated the 23rd October 2026

NOTIFICATION

S.O. ____(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Kumar Ravikant Singh, Joint Secretary (HFA & Housing), Department of Urban Development, Ministry of Housing and Urban Affairs as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Kuldip Narayan.

K. Shailendra 23.10.2026

(Kumar Shailendra)

Under Secretary to the Government of India

The Manager,

Government of India Press,

Mayapuri Industrial Area,

Ring Road, New Delhi.

[भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

सं. एफटी-1/12/2022-आईएफ-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

सा.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा (6) की उपधारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री कुलदीप नारायण के स्थान पर श्री कुमार रविकांत सिंह, संयुक्त सचिव (एचएफए और आवास), शहरी विकास विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेशों तक राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

(कुमार शैलेन्द्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।